सामाजिक विज्ञान

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-1

कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक

सामाजिक विज्ञान

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-1

कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक

© NCERT
not to be republished

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
मार्च 2006 फाल्गुन 1927

पुनर्मुद्रण
दिसंबर 2006 पौष 1928
दिसंबर 2007 पौष 1929
मार्च 2009 फाल्गुन 1930
जनवरी 2010 माघ 1931
जनवरी 2011 पौष 1932
जून 2012 ज्येष्ठ 1934
अक्तूबर 2013 अश्विन 1935
दिसंबर 2014 पौष 1936
जनवरी 2017 माघ 1938
जनवरी 2018 माघ 1939

PD 80T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 55.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा निखिल ऑफ़सेट, 223, 127, डी.एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़-I, नयी दिल्ली -110 020 द्वारा मुद्रित।

ISBN 81-7450-519-9

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 **फोन :** 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 **फोन :** 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 **फोन :** 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 **फोन :** 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 **फोन :** 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*गौतम गांगुली*
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी)	:	*अरुण चितकारा*
उत्पादन सहायक	:	*दीपक जैसवाल*

आवरण एवं चित्रांकन
विशाखा प्रकाश

सज्जा
सोहन लाल
मृत्युंजय चटर्जी

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरी वासुदेवन और पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार, शारदा बालगोपालन की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं

© NCERT not to be republished

जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर,* इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

शारदा बालगोपालन, सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़, राजपुर रोड, दिल्ली

सदस्य

अंजलि नरोना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

अरविंद सरदाना, एकलव्य – शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश

दिप्ता भोग, निरंतर – जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, सर्वोदय इन्क्लेव, नयी दिल्ली

जया सिंह, *प्रवक्ता,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

कृष्णा मेनन, *रीडर,* लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

लतिका गुप्ता, *सलाहकार,* डी.ई.ई., एन.सी.ई.आर.टी.

मोहन देशपांडे, *समन्वयक,* आभा (आरोग्य मान), पुणे

एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

संजय दुबे, *रीडर,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.

शोभा वाजपेई, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, उड़ा, ज़िला हरदा, मध्य प्रदेश

स्वाति वर्मा, हेरिटेज़ स्कूल, रोहिणी, दिल्ली

सदस्य एवं समन्वयक

डब्ल्यू. थेमीचोन रेमसन, *प्रवक्ता,* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

आभार

यह पाठ्यपुस्तक केवल लेखक समूह के प्रयासों का नतीजा नहीं है। किताब तैयार करने के क्रम में हमारे सहकर्मियों एवं मित्रों ने अलग-अलग तरीके से अपना समय और सहयोग दिया है। हमारी आंतरिक समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में मेरी जॉन, एस.मोहिन्दर, आदित्य निगम तथा सी. एन. सुब्रह्मण्यम ने समय-समय पर अपने महत्त्वपूर्ण सुझावों द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही, सौली बेंजामिन, राजीव भार्गव, सारा जोसफ, अनु गुप्ता, प्रभु महापात्र, फराह नकवी, अवधेन्द्र शरण, सुजीत सिन्हा, भूपेन्द्र यादव तथा योगेन्द्र यादव ने अलग-अलग पाठों पर अपनी टिप्पणी दी। एलेक्स एम. जॉर्ज ने अपनी राय देने से लेकर स्रोत सामग्री ढूँढ़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। केशव दास ने एक पाठ पर विशेष रूप से योगदान किया। सुमंगला दास ने हमें इप्टा का गीत उपलब्ध कराया जिसका प्रयोग हमने अपने पहले पाठ में किया है। बेन ने हमें नागालैंड के चिजामी गाँव में चावल की खेती के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा हम विशेष रूप से उर्वशी बुटालिया के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कम समय होने के बावजूद अंग्रेज़ी संस्करण का संपादन करना स्वीकार किया। उनके द्वारा किए गए संपादन के कारण किताब की गुणवत्ता बढ़ी है।

इस किताब का संपादन करने और विषयवस्तु में सुझाव देने के लिए हम विशेष रूप से पूर्वा भारद्वाज को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके कार्य में अरविंद सरदाना, शोभा वाजपेई, टुलटुल विश्वास, प्रकाश कान्त तथा सुप्रिया पाठक ने भी भरपूर सहायता की। लतिका गुप्ता ने सभी पाठों का शुरुआती अनुवाद किया और बाद में उन पर पुनः धैर्यपूर्वक काम किया।

आर.के. लक्ष्मण (दि टाइम्स ऑफ इंडिया), शीला धीर, पोइली सेनगुप्ता और अंजलि मांटेरियो ने अपनी रचनाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। पेंइगुइन, तूलिका और महाराष्ट्र सरकार ने भी हमें अपने प्रकाशन का सहर्ष उपयोग करने दिया।

चित्रांकन के कार्य में बड़ों के साथ-साथ बच्चों ने भी अपना सहयोग दिया है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय, उड़ा, ज़िला हरदा के बच्चों ने गाँवों में होने वाले अलग-अलग तरह के कामों के चित्र बनाए हैं। उन चित्रों के कोलाज का ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को समझाने में इस्तेमाल किया गया है। अदिति, ऐश्वर्या, अनीशा, स्वराली, मीनाक्षी और सहर के चित्रों का उपयोग इस किताब में किया गया है। उनमें जो विविधता है उसके जरिए विविधता की अवधारणा को समझाने में मदद मिली है।

चित्रांकन मुख्य रूप से विशाखा प्रकाश के हैं। उन्होंने जिस बारीकी, लगनशीलता और पाठों की आवश्यकता के अनुरूप चित्रांकन का कार्य किया, उससे किताब को नया आयाम मिला है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पहले पाठ में समीर की कहानी पर आधारित चित्र शाश्वती चौधरी ने बनाया है। हम उनके आभारी हैं।

किताब में प्रयुक्त अन्य सभी फोटो हमें *डाउन टू अर्थ* एवं *हिन्दुस्तान टाइम्स* ने उदारतापूर्वक प्रदान किए। हम विशेष रूप से *आउटलुक* समूह के प्रति आभारी हैं जो हमारी ज़रूरतों के प्रति

© NCERT not to be republished

काफी संवेदनशील थे। यैन ब्रेमेन और पार्थिव शाह की फोटो का भी किताब में इस्तेमाल किया गया है। मृत्युंजय चटर्जी ने शुरुआत में हमें पाठों की सज्जा एवं आवरण सज्जा के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए तथा सोहन पाल ने अपनी समस्त क्षमता, कौशल एवं समर्पण के साथ इस किताब को अंतिम स्वरूप दिया जिसके कारण लेखक समूह का अथक परिश्रम इस रूप में सामने आ सका। अरविंद सरदाना एवं दिप्ता भोग के व्यापक अनुभव से इस किताब को अंतिम रूप देने में काफी सहायता मिली।

सेंटर फ़ॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज़ (सी.एस.डी.एस.); एकलव्य - शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, मध्य प्रदेश; निरंतर - जेंडर एवं शिक्षा सन्दर्भ समूह तथा अंकुर - सोसायटी फॉर ऑल्टरनेटिव्ज़ इन एजुकेशन ने इस किताब को तैयार करने में संस्थागत रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमारी माँग एवं आवश्यकता के अनुरूप यथासंभव हमारी मदद की। श्री अधिकारी, विकास, सचिन एवं घनश्याम (सी.एस.डी.एस.), दिनेश पटेल (एकलव्य) तथा शालिनी जोशी, मालिनी घोष, वी. टी. प्रसन्ना एवं अनिल हासदा (निरंतर) ने हमारी सबसे अधिक सहायता की।

इन सभी व्यक्तियों के साथ-साथ कई अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी जिन्हें पाठ्यपुस्तक के संबंध में समझ थी, इस प्रक्रिया में शामिल हुए। इस कारण हम नए विचारों से बच्चों का परिचय कराने में सक्षम हो पाए हैं। हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली के भी ऋणी हैं जिसके कारण यह कार्य संभव हो सका। इस किताब पर सुझाव एवं आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ सादर आमंत्रित हैं।

इस किताब को तैयार करने में सहयोग देने के लिए हम सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष,* डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी. को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए अरविंद शर्मा, *डी.टी.पी. ऑपरेटर;* तथा सुनयना तिवारी, *सीनियर प्रूफ रीडर* के विशेष आभारी हैं।

प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम आभारी हैं।

© NCERT not to be republished

किताब कैसे इस्तेमाल करें

'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' क्यों?

जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा—'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन'। इस नये विषय ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया है।

'सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन' किस तरह से अलग है?

इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें तीन तत्त्वों का सम्मिश्रण है।

1. बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृतांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधाार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों।

2. अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने न कि वे तथ्यों एवं सूचनाओं तक सीमित रह जाएँ। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, वे हैं सूचनाओं की कटौती। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएँ कम से कम रखी गई हैं।

3. बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे।

बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर कक्षा में आते हैं। इस किताब में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है।

© NCERT not to be republished

यह किताब चार इकाइयों में बँटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये हैं — विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन एवं आजीविका। प्रत्येक इकाई में एक से अधिक पाठ हैं जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

(I) हर पाठ की शुरुआत

प्रत्येक पाठ दो तत्त्वों से शुरू होता है जिनके ज़रिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। पहला तत्त्व है परिचयात्मक भाग जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है कि पाठ किन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करेगा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न भी हैं जो बच्चों को उनके अनुभवों और मुद्दों को जोड़ने के मौके दें। दूसरा तत्त्व है प्रत्येक पाठ के शुरू में आनेवाला एक बड़ा चित्र जिसकी मदद से बच्चा यह अंदाज़ा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। यह उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दिए गए प्रश्नों एवं चित्रों के अलावा अपने प्रश्न एवं चित्रों का भी इस्तेमाल करेंगे।

अध्याय 2

विविधता एवं भेदभाव

पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दु:ख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आस-पास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं।

(II) पाठ के बीच के प्रश्न और अभ्यास

हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे थे? अश्वेत लोग किस-किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए।

1.

2.

3.

आप यह देखेंगे कि हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं जिनमें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं एवं कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। इन सबके कई उपयोग हैं – पहला कि शिक्षक यह अंदाज़ा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया।

© NCERT not to be republished

3. किसी सब्ज़ी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं – तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि।
4. बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों?

दूसरा, विद्यार्थियों के अनुभवों के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना।

तीसरा, विद्यार्थी पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उसका प्रयोग करें।

नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए।

	स्थानीय	राज्य	राष्ट्रीय
पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय	○	○	○
जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएँ शुरू करने का निर्णय	○	○	○
भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय	○	○	○

समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें।

खुले खानों में चर्चा के लिए दिए गए मुद्दों का आशय है कि बच्चे छोटे समूहों में चर्चा करें और बाद में पूरी कक्षा में उसे सुनाएँ। चर्चा के लिए दिए गए मुद्दे मुख्य रूप से बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित हैं ताकि बच्चों की अवधारणाओं की समझ का विस्तार हो सके। इसलिए समय का अभाव होने पर भी इनको नज़रअंदाज़ न करें।

(III) अभ्यास

पाठोत्तर प्रश्नों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाएँ न कि पाठ की विषयवस्तु को अंधाधुंध रट लें। विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

अभ्यास

1. पुलिस का क्या काम होता है?
2. पटवारी के कोई दो काम बताइए।

- कुछ प्रश्न इस बात की आवश्यकता पर बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिन्दुओं को विशिष्ट रूप से दोहरा सकें।

- कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने पर बल देते हैं।

5. नीचे दी गई तालिका में दुकानों या दफ़्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएँ मुहैया कराते हैं?

दुकानों या दफ़्तरों के नाम	चीज़ों/सेवाओं के प्रकार

© NCERT not to be republished

6. नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए:

	शेखर	रामलिंगम
खेती की हुई ज़मीन		
मज़दूरों की ज़रूरत		
फ़सल का बिकना		

◆ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहते हैं।

◆ कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया की माँग करते हैं।

5. नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

...इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर ज़ोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना की तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परन्तु लाड का आरोप था कि ऊँची जाति के लोग इस बात के खिलाफ़ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे।

– *इंडियन एक्सप्रेस* की एक खबर, 1 मई 2004

(क) भगवान लाड को पीटा क्यों गया था?

(ख) क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों?

5. चर्चा कीजिए:
ऊपर के दो चित्रों में आपने कूड़ा चुनने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखा।
i) आपके विचार से कौन-सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है?

◆ एक अन्य प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें चित्रों/तस्वीरों का उपयोग किया गया है। उनके आधार पर विद्यार्थी ये वर्णन करें कि तस्वीर में क्या दिख रहा है और वह दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित है।

विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न शिक्षकों को यह समझने में मदद करेंगे कि विद्यार्थियों ने अवधारणा को न केवल समझ लिया है बल्कि, उस समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की एक क्षमता भी शामिल है। यह उम्मीद है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों की तर्ज़ पर हर तरह के प्रश्न खुद भी बनाएँगे। कुछ गिने-चुने प्रश्नों के उत्तरों को रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी राय व्यक्त करना या मुद्दों पर बहस करना अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है।

© NCERT not to be republished

(IV) कथानकों का उपयोग

मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक जो कि फटे-पुराने कपड़े पहने उस छोटे-से लड़के के लिए था जो उस भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लालबत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुज़रता वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए...

यह किताब कई काल्पनिक एवं अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है ताकि विद्यार्थी संस्थाओं एवं विचारों को समझने में सक्षम बनें। इन कथानकों का इस्तेमाल विद्यार्थियों में चर्चा एवं अंत:दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रयास यही है कि विद्यार्थी अपने आपको कहानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएँ।

कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभवों पर कथानक लिखने को कहा है। कथानक लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्जनात्मक होने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। शिक्षकों से यह भी उम्मीद है कि वे दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएँगे।

बच्चू माँझी - एक रिक्शावाला

मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और तीन बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी।

मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए।
क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन पाँच चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी।

(V) छवियों का उपयोग

इस किताब में कई चित्र एवं तस्वीरें हैं। ये भी पाठ्यसामग्री की तरह पाठ के अभिन्न अंग हैं और यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्यसामग्री को समझते समय शिक्षक इन चित्रों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही तस्वीरों से बच्चों को ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हों। शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अख़बार, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का भी इस्तेमाल करें।

© NCERT not to be republished

(VI) भाषा में जेंडर संवेदनशीलता

इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे यह वाक्य देखिए, ''क्या कोई ऐसी साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो?'' इसे आमतौर पर लिखा जायेगा – 'क्या कोई ऐसा साथी है जो कि बिलकुल आपकी तरह दिखता हो।' यहाँ 'साथी' शब्द में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल माने जाते हैं, परन्तु उसके पहले के शब्द 'ऐसा' और क्रियावाची शब्द 'दिखता' से ऐसा लगता है मानो केवल लड़कों की बात हो रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं, हमारे जीवन में हर ओर इसी तरह हमें लड़कियों की कमी तथा लड़कियों के प्रति गैर-बराबरी दिखाई पड़ती है।

इस गैर-बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़नेवालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने के उद्देश्य से हमने भाषा के मान्य रूपों को बदला है। हो सकता है शुरू-शुरू में आपको यह कुछ अटपटा लगे पर यह कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने की नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने की है जो सालोंसाल हमारी भाषा और कार्यक्षेत्र से गायब रही हैं।

हाल बुरा नहीं है! ज़रूर पास के किसी गाँव में नल से पानी आ रहा होगा।

संपादक के लिए चिट्ठी

पोस्टरों पर रोक लगे

दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं — कई बार पोस्टर महत्त्वपूर्ण स्थानों एवं साइनबोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएँ।

महेश कपासी, दिल्ली

(VII) अन्य साधनों का उपयोग

पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन वह कक्षा में उपयोग होने वाले कई साधनों में से सिर्फ एक ही साधन है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अखबार, कार्टून आदि।

विषय–सूची

आमुख *iii*

किताब कैसे इस्तेमाल करें *ix*

इकाई I विविधता

अध्याय 1 विविधता की समझ 3

अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव 15

इकाई II सरकार

अध्याय 3 सरकार क्या है? 31

अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्त्व 39

इकाई III स्थानीय सरकार और प्रशासन

अध्याय 5 पंचायती राज 49

अध्याय 6 गाँव का प्रशासन 57

अध्याय 7 नगर प्रशासन 65

इकाई IV आजीविकाएँ

अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका 77

अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका 88

संदर्भ 100

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

© NCERT not to be republished

इकाई-I

विविधता

not to be republished

पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। *"अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई* ***ऐसी*** *साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह* ***दिखती*** *हो?"* यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है।

शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिलें – इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्यपुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुलिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है।

© NCERT not to be republished

अध्याय 1

विविधता की समझ

अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक-दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग-अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएँ हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं।

इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएँ विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं।

आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप-रंग, खान-पान आदि में भी भिन्नता है।

© NCERT not to be republished

अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए:

* बाहर जाते समय मैं __________ पहनना पसंद करती हूँ।
* मैं घर में __________ में बात करती हूँ।
* मेरा पसंदीदा खेल __________ है।
* मुझे __________ के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है।

अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपमें से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हू-ब-हू मिलती है? शायद नहीं हो। हालाँकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं।

दोस्ती करना

क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें।

मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक जो कि फटे-पुराने कपड़े पहने उस छोटे-से लड़के के लिए था जो जनपथ के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लालबत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुज़रता, वह अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी-अंग्रेज़ी के मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार माँगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, "मतलब, आपको हिंदी आती है?"

"बिल्कुल", मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा।

"क्यों? तुमने क्या सोचा?" वह रुका। "पर आप लगते तो... बड़े अंग्रेज़ हैं," वह बोला। "मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं?"

"हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ।" इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। "मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे 'सब्जेक्ट' (विषय) के साथ हिंदी पढ़ी है।"

© NCERT not to be republished

"सब्जेक्ट" उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। "वह कुछ होता है ..." मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर सौ गुना बढ़ गया। मैंने भी अपनेआप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।

अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्करा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, "भैया, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है?" अंग्रेज़ी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेज़ी में 'सब्जेक्ट' शब्द का जो दूसरा अर्थ है 'प्रजा', उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है।

"ओह, यह कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है," मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, "तुम कभी स्कूल गए हो?" "कभी नहीं," उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, "मैं जब इतना ऊँचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था।" उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। "पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ।"

"अभी तुम्हारी माँ कहाँ है?" मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, "वह मेरठ में है और उसके साथ... "। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया।

"मेरा नाम समीर है," उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, "आपका नाम?" यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। "मेरा नाम भी समीर है", मैंने बताया। "क्या", उसकी आँखें एकदम से चमक उठीं। "हाँ", मैंने मुस्कराते हुए कहा। "तुम्हें पता है समीर का अर्थ है – हवा, पवन। और पवनपुत्र कौन हैं जानते हो न? ... हनुमान!"

"तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो", उसने खूब खुश होते हुए कहा। "हाँ, ठीक है" मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। "हाथ मिलाओ समीर दो।"

उसका छोटा-सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्हीं चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था।

अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। "मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है," उसने कहा। "वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं।" मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था – सांप्रदायिक दंगे। "लेकिन समीर..." मैंने शुरू किया ही था। "मैं मुस्लिम समीर हूँ," वह बोल पड़ा। "और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं।" उसकी आँखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई।

समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए।
क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए?

अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो *आखिर कहाँ गया।*

(पोइली सेनगुप्ता की कहानी *द लाइट्स चेंज़्ड* पर आधारित)

जहाँ *समीर एक* को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं *समीर दो* हिंदी बोलता है। हालाँकि दोनों की भाषाएँ अलग हैं, फिर भी दोनों एक-दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्त्वपूर्ण था। *समीर एक* और *समीर दो* की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ *समीर एक* हिंदू है, वहीं *समीर दो* मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं।

अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा *समीर एक* और *समीर दो* कई अन्य मामलों में भी एक-दूसरे से अलग

थे। उदाहरण के लिए *समीर एक* ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था।

समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवत: अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर-बराबरी का रूप है। गैर-बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन, जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं हैं। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर-बराबरी है।

जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया। इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस-किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए

उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि *समीर एक* और *समीर दो* मनाते हों :

समीर एक :

समीर दो :

क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आप से बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए।

समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें।

© NCERT not to be republished

अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गईं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थीं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर-बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी।

विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है?

जैसे *समीर एक* और *समीर दो* दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी।

सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग-अलग प्रांतों के कौन-कौन से व्यंजन खाए हैं।

अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं।

आपको शायद तरह-तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों– किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं।

कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखीं। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के वृत्तांत पढ़ कर प्यार और

सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखीं।

कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों – लाल एवं सफेद; एक तरह का खाना खाते हों (शायद आलू!); समान रूप से केवल दो पशु-पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ; और केवल साँप-सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे?

मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए।

क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन पाँच चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी।

भारत में विविधता

भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह

भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं।
यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है। दो और तरीके लिखिए।

प्रार्थना / इबादत करना	भक्ति गीत गाना		
शादी करना		अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना	
विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना			मणिपुर में औरतों का फ़नैक पहनना
अभिवादन करना		झारखंड के आदिवासियों का एक-दूसरे को 'जोहार' कहना	
चावल पकाना	मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाना		

© NCERT not to be republished

की चीज़ें करते हैं केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं।

हम विविधता को कैसे समझें?

करीब दो-सवा दो सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाईजहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर।

अक्सर ये यात्राएँ खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जा कर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे।

लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती।

अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधतासंपन्न हो जाते थे।

ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्ज़ी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं।

आइए, भारत के दो भागों – लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है।

एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूँढ़िए कि ये दोनों क्षेत्र – लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय/पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं? उनकी सूची बनाइए।

© NCERT not to be republished

लद्दाख – ऊँचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका

लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ़ से ढँका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं।

यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महँगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यत: कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं।

यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, जैसे मक्खन, चीज़ (खास तरह का छेना) एवं मांस खाते हैं। हरएक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं।

रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुज़र कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे।

लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब चार सौ साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी-खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ *केसर सागा* लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं।

पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें

© NCERT not to be republished

केरल भारत के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कालीमिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना।

सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग दो हज़ार साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब सात सौ साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज़्ज़त थी।

मछली पकड़ने का चीनी जाल

वास्को डि गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना।

इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं।

चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हू-ब-हू मिलते हैं और उन्हें 'चीना-वला' कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे 'चीनाचट्टी' कहते हैं। इसमें 'चीन' शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं।

केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है – नाव प्रतियोगिता

© NCERT not to be republished

जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आनेवाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय: गहरा रिश्ता होता है।

विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हरएक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति-रिवाज और जीने का तरीका धीरे-धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिल-जुलकर काम करते हैं और एक-दूसरे के रीति-रिवाज और परंपराओं में घुलमिल जाते हैं।

विविधता में एकता

भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक-दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे।

दिन ख़ून के हमारे, प्यारे न भूल जाना
खुशियों में अपनी हम पर, आँसू बहा के जाना

सैयाद ने हमारे, चुन-चुन के फूल तोड़े
वीरान इस चमन में, कोई गुल खिला के जाना
दिन ख़ून के हमारे...

गोली खा के सोये, जलियाँ बाग़ में हम
सूनी पड़ी कब्र पर, दिया जला के जाना
दिन ख़ून के हमारे...

हिंदू औ' मुस्लिमों की, होती है आज होली
बहते हैं एक रंग में, दामन भीगो के जाना
दिन ख़ून के हमारे...

कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ क़ब्र में गड़े हैं
दो बूँद आँसू उनपर, प्यारे बहा के जाना
दिन ख़ून के हमारे...

–*भारतीय जन नाट्य संघ* (इप्टा)

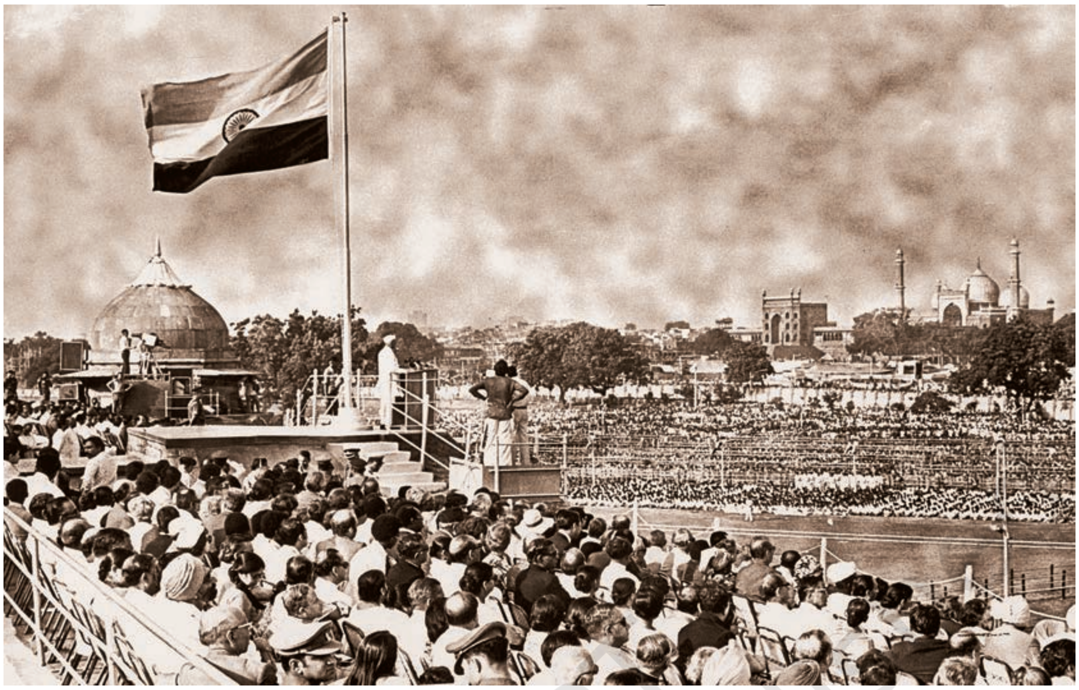

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू

यह गीत अमृतसर में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय, निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियाँ चलवा दी थीं जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला-पुरुष, हिंदू-मुसलमान एवं सिख - कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिह्न विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था।

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब *भारत की खोज* में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि "यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है।" यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए 'अनेकता में एकता' का विचार हमें दिया।

रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए।

अभ्यास

1. अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन-से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं?
2. आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है।
3. आपके अनुसार 'अनेकता में एकता' का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? *भारत की खोज* किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं?
4. जलियाँवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है।
5. लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे?

© NCERT not to be republished

अध्याय 2

विविधता एवं भेदभाव

पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आस-पास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं।

हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन-सी भाषाएँ बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन-से खेल खेलते हैं और कौन-से उत्सव मनाते हैं – इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है।

अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है।

संसार में आठ मुख्य धर्म हैं। भारत में उन आठों धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ सोलह सौ से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। यहाँ सौ से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं।

यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं।

© NCERT not to be republished

पूर्वाग्रह

उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आस-पास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं?

ग्रामीण लोग

- ☐ आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं।
- ☐ ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं।
- ☐ गाँव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं।
- ☐ फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं।
- ☐ ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानान्तरण करने को बाध्य होते हैं।

शहरी लोग

- ☐ शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं।
- ☐ शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं।
- ☐ शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं।
- ☐ शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं।
- ☐ शहरों में रहना बहुत महँगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में खर्च हो जाता है।

इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह **पूर्वाग्रह** का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है - लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है।

जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्ज़त नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएँ महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्ज़त नहीं कर पाएँगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं।

हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं - लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि।

© NCERT not to be republished

अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दु:ख पहुँचा देते हैं।

लड़के और लड़की में भेदभाव

समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपमें से कई लोग कहेंगे, "हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है?" आइए, देखें कि क्या सच्चाई यही है?

नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए।

वे बहुत ही सुशील हैं।
उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है।
वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं।
वे शरारती हैं।
वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं।
वे रोते नहीं।
वे उधमी हैं।
वे खेल में निपुण हैं।
वे खाना पकाने में निपुण हैं।
वे भावुक हैं।

लड़का	लड़की
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

© NCERT not to be republished

ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले 'विकलांग' कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं – 'ख़ास ज़रूरतों वाले बच्चे'। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएँ और विचार भी दिए गए हैं।

ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों – इस पर चर्चा कीजिए।

आपकी राय में क्या ख़ास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए।

स्रोत: *व्हाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड,* शीला धीर।

© NCERT not to be republished

अगर हम इस कथन को लें कि 'वे रोते नहीं' तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि 'रोओ मत। तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं।' जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं।

यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालाँकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे या उसका मज़ाक बनाएँगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है।

'वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं', 'वे बहुत ही सुशील हैं'–ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होतीं और शरारती होती हैं?

हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि 'लड़के ऐसे होते हैं' और 'लड़कियाँ ऐसी होती हैं'। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे-समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं।

रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना

जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे **रूढ़िबद्ध धारणा** कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को 'कंजूस', 'अपराधी' या 'बेवकूफ़' ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएँ हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएँ हैं जो दूसरों से अलग हैं।

रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकतीं। इन धारणाओं

मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं।

जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उनमें 60 प्रतिशत से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है जिनमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं।

दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है–चाहे वे मुसलमान हों, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। ज़ाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर-हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है।

का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की क़ाबलियत शायद हममें हो।

असमानता एवं भेदभाव

भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएँ या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।

भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में *समीर एक* और *समीर दो* एक-दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं।

दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। *समीर दो* गरीब था। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, यह अंतर

© NCERT not to be republished

विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ़्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है।

भेदभाव का सामना करने पर

अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं–जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सफ़ाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्त्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जाति, दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आपको इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊँची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस

दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को 'अछूत' से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें 'दबाया गया', 'कुचला गया'। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को 'दबाकर रखा है'। सरकार ऐसे लोगों को 'अनुसूचित जाति' के वर्ग में रखती है।

जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है।

© NCERT not to be republished

सीढ़ी के तले में रखा गया उनको 'अछूत' और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन 'अछूतों' को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाँव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊँची जाति के लोगों के घर में घुसने, गाँव के कुएँ से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊँची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा।

रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है?

आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है?

अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए।

भारत के एक महान नेता डा. भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में

डा. भीम राव अंबेडकर (1891-1956) को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डा. अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी।

अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल-कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ।

दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चल कर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्ज़त हो, न कि कुछ ही लोगों की।

© NCERT not to be republished

कोरेगाँव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे।

बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, पर कोई नहीं आया। एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट माँगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगाँव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगाँव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। (बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था।) उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब-सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। पंद्रह-बीस मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप-सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी।

आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगाँव जा सकते थे। अगर कोरेगाँव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं। लेकिन मैंने स्टेशन

© NCERT not to be republished

मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल-तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें?

स्रोत : डा. बी.आर. अंबेडकर, *राइटिंग एंड स्पीचेज़* खंड 12, संपादन : वंसत मून, बंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार

* बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवानों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों?
* स्टेशन पर लोगों ने डा. अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया?
* महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
* क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है? या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ?

कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी-सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया।

इस कहानी से यह बिल्कुल साफ़ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है।

समानता के लिए संघर्ष

ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर-बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी।

जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने माँग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है

वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आपको ज़मींदारों और उनकी ऊँची ब्याज़ की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया।

1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे जैसे डा. अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियाँ सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए।

अपने अधिकारों की माँग करती हुई औरतें

दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं?

उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा 'खास ज़रूरतों वाले' लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है।

भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य

हालाँकि हमारे संविधान में इन विचारों पर ज़ोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं।

संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज़्ज़त करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्ज़त करते हैं।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं।

© NCERT not to be republished

अभ्यास

1. निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए:

(क) दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके	1. दमा का पुराना मरीज़ है।
(ख) जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती, वह मंच पर	2. एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ।
(ग) संसार के सबसे तेज़ धावकों में से एक	3. अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी।
(घ) वह बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका	4. पुरस्कार लेने के लिए एक पहियोंवाली कुर्सी पर गया।

2. लड़कियाँ माँ-बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग-अलग पाँच प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

3. भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना ज़रूरी है?

4. कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुँह

© NCERT not to be republished

पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को दो समूहों में बाँटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे :

(क) गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है।

(ख) आप अपने परिवार के साथ टी.वी. देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है।

(ग) आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है।

(घ) किसी समुदाय के खास उच्चारण का मज़ाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है।

(ङ) लड़के, लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियाँ उनकी तरह नहीं खेल सकतीं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए, साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन-सी समस्याएँ आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए।

© NCERT not to be republished

इकाई-II

हाल बुरा नहीं है! ज़रूर पास के किसी गाँव में नल से पानी आ रहा होगा।

मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था... वो बहुत दुबले-पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन सँभाल नहीं पाएँगे।

सरकार

लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के ज़रिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूँढने के लिए करे...

– आर. के. लक्ष्मण

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

अध्याय 3

सरकार क्या है?

आपने 'सरकार' शब्द का ज़िक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं? वे निर्णय कैसे लेती हैं? अलग-अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है? चलिए, पढ़ कर पता लगाते हैं ...

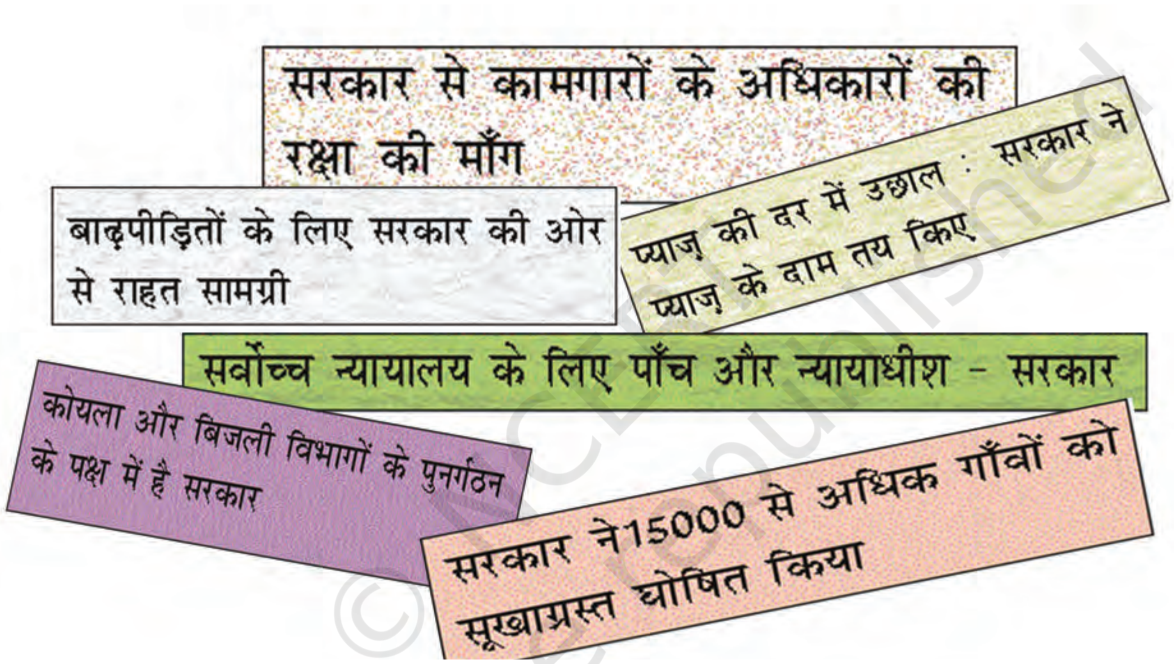

© NCERT not to be republished

ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है, उनकी सूची बनाइए।
1.
2.
3.
4.
क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए।

हरएक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं - सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महँगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएँ अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद

करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्त्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएँ चलाना।

सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है।

शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है।

क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है?

1.

2.

3.

Bharat Petroleum

कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं – सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल

© NCERT not to be republished

सरकार के स्तर

अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है–स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गाँव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है (मानचित्रों को देखें)। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी।

© NCERT not to be republished

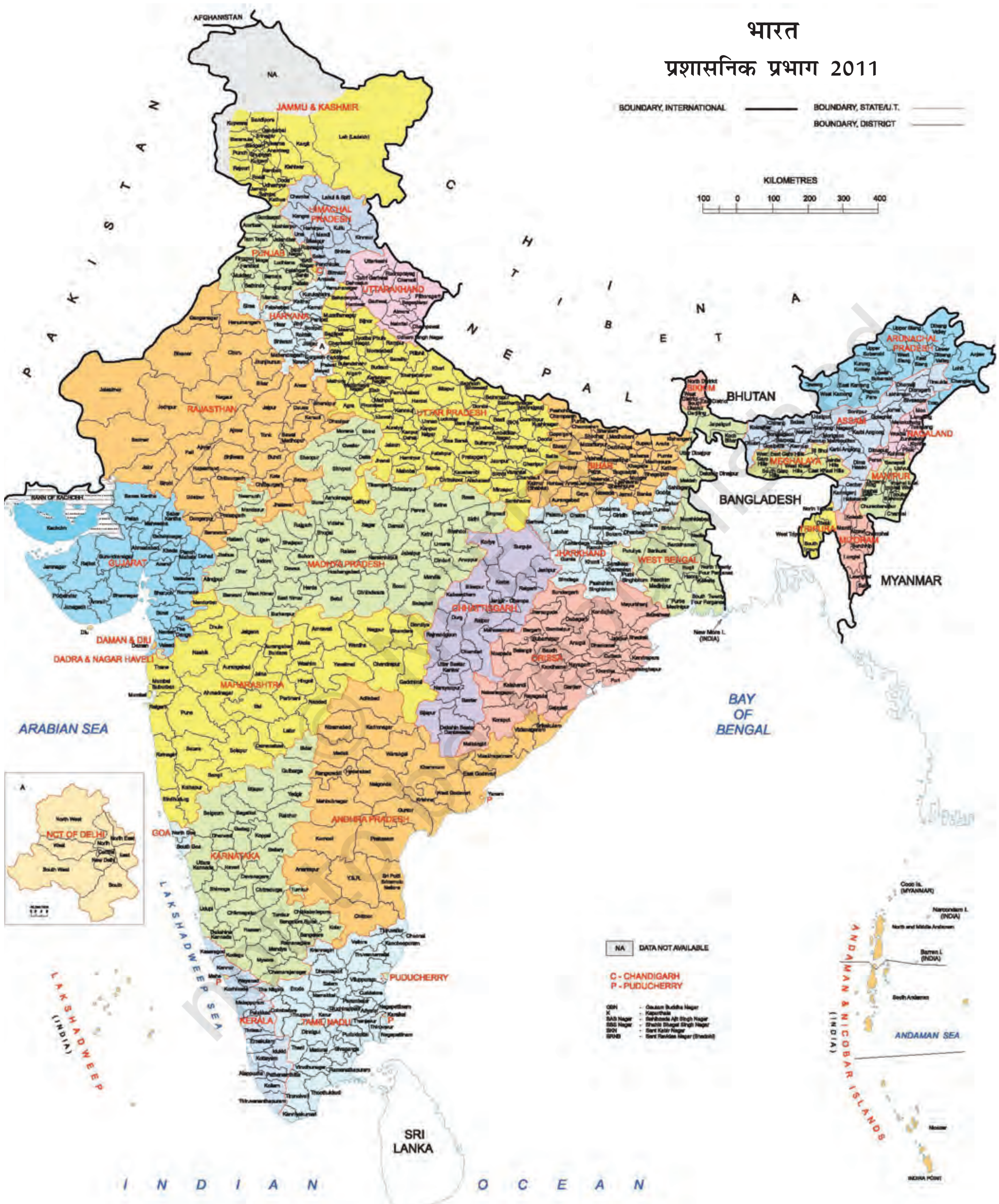

स्रोत: *www.censusindia.gov.in/2011census/maps/atlas/00part1.pdf*

नोट: आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, 2 जून 2014 को तेलंगाणा भारत का 29वाँ राज्य बना।

सरकार एवं कानून

सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है।

किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है।

सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है।

सरकार के प्रकार

सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है?

इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है।

एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा-सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफ़ाई देनी पड़ती है।

© NCERT not to be republished

* लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्त्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के दो कारण लिखिए।
* आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी? और क्यों?
* नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ हैं, उन्हें सुधार कर लिखिए।
    - राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है।
    - लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है।
    - राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं।

लोकतांत्रिक सरकार

भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है।

लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर

मतदान के समय मतदाता की उँगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके – ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य

© NCERT not to be republished

सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे।

लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े-लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने-चुने पुरुष बनाते थे।

भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की माँग की। गाँधीजी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी ज़ोर-शोर से यह माँग उठाई। 1931 में *यंग इंडिया* पत्रिका में लिखते हुए गाँधीजी ने कहा था, "मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता या जो दिनभर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है...।"

संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बाँटी है। पूरे यूरोप और अमरीका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मज़बूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे 'सफ्रेज मूवमेंट' कहते हैं। 'सफ्रेज़' का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत-से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएँ बना रखीं थीं कि महिलाएँ ये काम नहीं कर सकतीं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की माँग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर अपने आपको लोहे की ज़ंजीरों से बाँधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएँ जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं।

अमरीका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।

पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और ज़िलों को दर्शातें हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं।

* भारत के पड़ोसी देशों के नाम
* अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम
* अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम
* अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जानेवाले मार्ग

नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए।

	स्थानीय	राज्य	राष्ट्रीय
भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय	○	○	○
पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय	○	○	○
डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएँ शुरू करने का निर्णय	○	○	○
गाँव में एक सार्वजनिक कुएँ के स्थान को चुनने का निर्णय	○	○	○
पटना में बच्चों के लिए बड़ा-सा पार्क बनाने का निर्णय	○	○	○
हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ़्त बिजली देने का निर्णय	○	○	○
1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय	○	○	○

© NCERT not to be republished

अभ्यास

1. आप 'सरकार' शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है।
2. सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है?
3. लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं?
4. महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी?
5. गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हरएक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा?

अध्याय 4

लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्त्व

इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा? आइए, इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें।

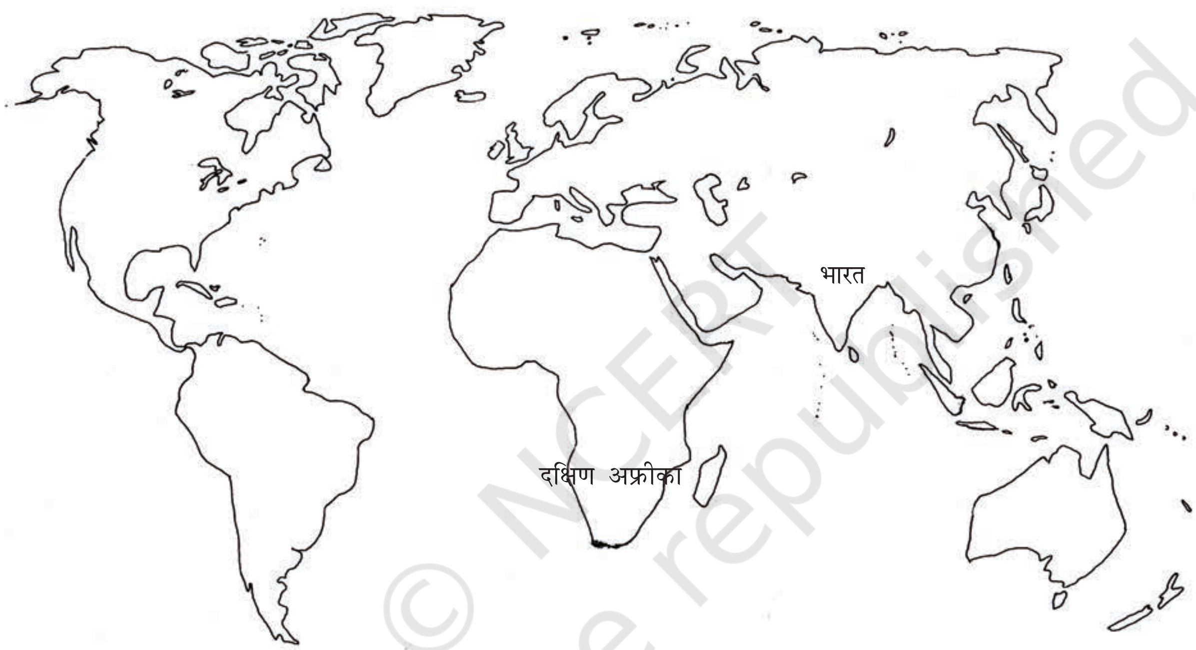

दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं – श्वेत (गोरे), अश्वेत (काले) और जिनकी त्वचा का रंग साँवला है, जैसे भारतीय।

जोहांसबर्ग में रहने वाली ग्यारह वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफ़ाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर (स्क्रैप बुक) मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक पंद्रह साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था – हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा – "क्यों?"

माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा (चमड़ी) के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग-अलग समूहों में बँटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक-दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आस-पास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था, उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे।

अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था।

दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग 'अफ्रीकान्स' भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए ज़ोर डाला जा रहा था जबकि

वे अपनी भाषा 'ज़ूलू' सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर 'अफ्रीकान्स' सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियाँ बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने-माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा।

अश्वेत लोग किस-किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए।

1.

2.

3.

4.

5.

हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे?

क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना ज़रूरी है? क्यों?

आइए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है।

भागीदारी

हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और माँगों को ध्यान में रखेंगे।

कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है?

सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि पाँच वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार पाँच वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार-बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है।

भागीदारी के अन्य तरीके

चुनाव पाँच वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई

© NCERT not to be republished

यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है?

हाल बुरा नहीं है! ज़रूर पास के किसी गाँव में नल से पानी आ रहा होगा।

संपादक के नाम चिट्ठी

पोस्टरों पर रोक लगे

दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं कई बार पोस्टर महत्त्वपूर्ण स्थानों एवं साइनबोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएँ।

महेश कपासी, दिल्ली

कार्रवाई

यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगलचोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगलचोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दस सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा।

सोहन पाल
गुवाहाटी, असम

'सरकार बाढ़पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे'

© NCERT not to be republished

तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले कर और उसकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं।

अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की माँग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति ज़िम्मेदार है।

ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके ज़रिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है।

अखबार, पत्रिकाएँ एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आन्दोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर-तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के ज़रिए ही हो पाती है।

अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मज़बूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है।

विवादों का समाधान

आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा

इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है।

> माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे?

विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे।

आइए, अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है।

धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके।

> भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है।

नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बँटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णाराजासागर बाँध में भरा हुआ पानी कई ज़िलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलूरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बाँध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है।

© NCERT not to be republished

पिछले तीस सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है

दोनों बाँध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णाराजासागर बाँध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बाँध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बाँध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णाराजासागर बाँध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बँटवारा हो पाए।

समानता एवं न्याय

लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डा. अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुँची?

अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डा. अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो।

सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्त्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरणस्वरूप सरकारी स्कूल और कालेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है।

* आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी?
* क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए कि
  - इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की?
  - क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे?
  - जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया?

अभ्यास

1. आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा?
2. किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं?
3. विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है?
4. सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है?
5. पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्त्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए, सभी लोग बराबर हैं।

© NCERT not to be republished

इकाई-III

स्थानीय सरकार और प्रशासन

© NCERT not to be republished

अध्याय 5

पंचायती राज

लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब माँगते हैं।

आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी-जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे ह। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गाँव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नयी पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है।

ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या एक से ज़्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।

ग्राम सभा

ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले

एक ग्राम पंचायत कई वार्डों (छोटे क्षेत्रों) में बँटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं।

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना।

खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी।

गाँव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया, "हरदास गाँव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को तीन किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है।"

एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी-सी टंकी में भर लेते हैं उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महँगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं।

तिजिया ने कहा, "इतने से तो काम नहीं चलेगा ! हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं।"

ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गाँव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम (वाटरशेड) कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गाँव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर 'चेक डैम' यानी छोटे-छोटे बाँध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई थीं।

सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा।

* ग्राम सभा क्या होती है?
* ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन-सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी? उनके किस तरह के हल सुझाए गए?

ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम

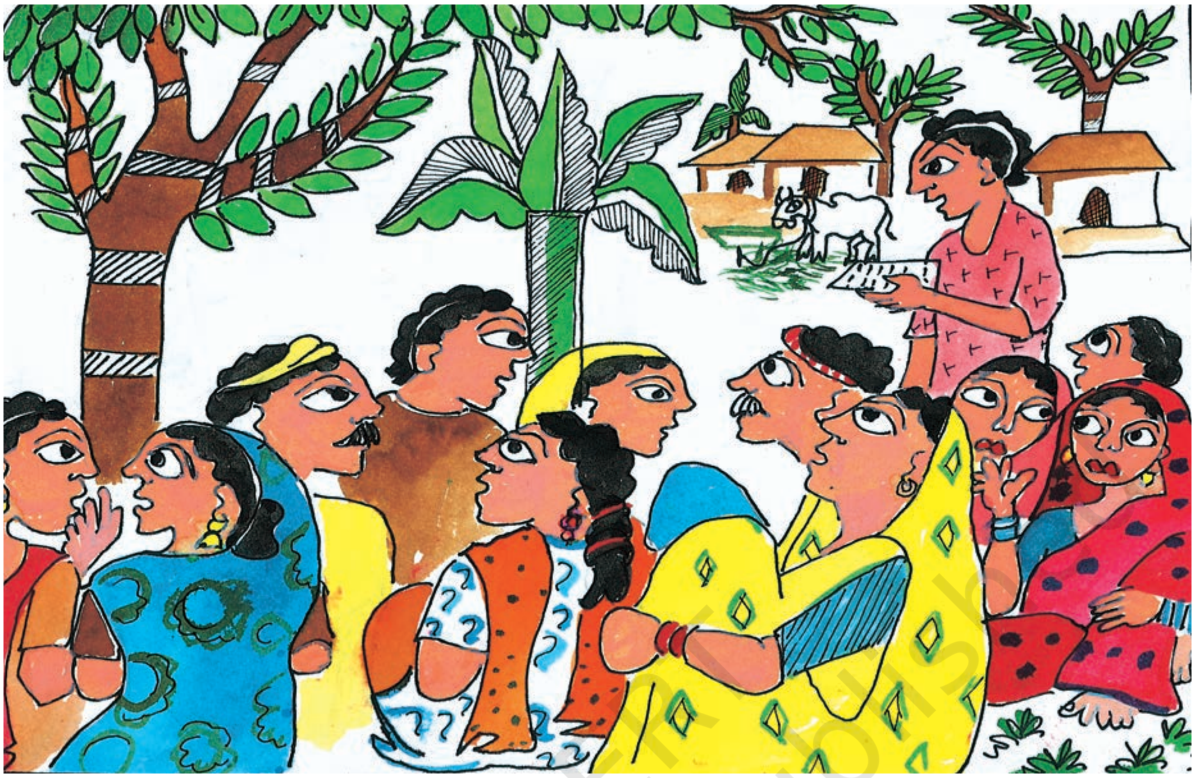

पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर-पुसर होने लगी। "नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है?" सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे-से कहा।

सरोज ने सुखी बाई से कहा, "बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओमप्रकाश एक मज़दूर है। उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुज़ारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है।" सुखी बाई ने कहा, "तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को

ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएँ लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही, पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है।

इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें ज़िम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गाँव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है। लेकिन हमें ओमप्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए।"

सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर-पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओमप्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओमप्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया "मैं ओमप्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूँढ़ने के लिए गया हुआ था।" सरपंच ने कहा कि ओमप्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा।

* ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी?
* सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा?
* क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएँ देखी हैं जहाँ लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन-सी चीज़ रोकती है?

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती हैं। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है तभी पंचायत अपना काम कर पाती है।

महाराष्ट्र के दो पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

© NCERT not to be republished

ग्राम पंचायत के काम

* सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख-रखाव
* स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना
* गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना

ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत

* घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि
* विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलायी गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं ज़िला पंचायत द्वारा आती है।
* समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान

कुछ राज्यों में ग्राम सभाएँ काम करवाने के लिए समितियाँ बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए, देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या-क्या काम किया।

हरदास गाँव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे।

पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआँ साफ करने और दो हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच-विचार किया ताकि गाँव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूँकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया।

उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका ज़ाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी।

हरदास ग्राम पंचायत में क्या-क्या निर्णय लिए गए?

क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने ज़रूरी थे? क्यों?

ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं।

© NCERT not to be republished

जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल दो वर्षों में इस बंजर ज़मीन को हरे-भरे मैदान में बदल दिया है

पंचायत के तीन स्तर

हरदास गाँव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर ज़िला पंचायत या ज़िला परिषद् होती है। यह तीसरा स्तर होता है। ज़िला परिषद् एक ज़िले के स्तर पर विकास की योजनाएँ बनाती है। पंचायत समिति की मदद से ज़िला परिषद् सभी पंचायतों में आबंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है।

संविधान में दिए हुए निदेशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें।

अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या ज़िला परिषद् के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और ज़िम्मेदारियों पर बातचीत करें।

© NCERT not to be republished

अभ्यास

1. हरदास गाँव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएँ सुलझाने के लिए क्या किया?
2. आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्त्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों?
3. अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए:

   (क) यह काम क्यों किया गया?

   (ख) पैसा कहाँ से आया?

   (ग) काम पूरा हुआ या नहीं?
4. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है?
5. नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

   चौफुला-शिरूर सड़क पर एक गाँव है निमोन। दूसरे गाँवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गाँव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गाँव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गाँव के भगवान महादेव लाड (35 वर्ष) को सात लोगों ने मिलकर डंडे, लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी, निमोन ग्राम पंचायत की जल

© NCERT not to be republished

आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परंतु लाड का आरोप था कि ऊँची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे।

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर, 1 मई 2004

(क) भगवान लाड को पीटा क्यों गया था?

(ख) क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों?

6. जल संरक्षण और उसके फ़ायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए।

© NCERT not to be republished

अध्याय 6

गाँव का प्रशासन

भारत में छः लाख से अधिक गाँव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निबटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गाँव का प्रशासनिक ढाँचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे।

गाँव में झगड़ा

मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी-सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी-सी मेड़ से अलग होते हैं।

एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गाँव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुँच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया।

रघु ने अपने एक मज़दूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो-हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, बीच-बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम-पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गाँव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ़ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।

कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुँच चुके होंगे। काफ़ी विचार-विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आँखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा।

पुलिस थाने का क्षेत्र

थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, "क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें?" मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है।

हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच-पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे।

* अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँगी?
* मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था?
* मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था?
* कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए?

पुलिस थाने में होने वाला काम

जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जाँच-पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी!

मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आँखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आतीं। उन्होंने मामला दर्ज करने पर ज़ोर दिया। अंततः थानेदार राज़ी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जाँच-पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा।

पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन, थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था?

राजस्व विभाग का काम

आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गाँव में किसके पास कौन-सी ज़मीन है? चलिए, पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है।

ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है – कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखाजोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है।

आम तौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे *जरीब* कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी, मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गाँव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है।

पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए :
आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँवों के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है? गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं?

खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएँ भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन-सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए।

खसरा 5

नं.	क्षेत्र हैक्टेयर में	ज़मीन मालिक का नाम, पिता/पति का नाम और पता	यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा	इस साल जोती गई ज़मीन			परती ज़मीन	सुविधाएँ
				फ़सल	क्षेत्र	अन्य फ़सलें		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0.75	मोहन, वल्द राजा राम गाँव अमरापुरा ज़मीन का मालिक	नहीं	सोयाबीन	0.75 हेक्टेयर			
2	3.00	रघु राम वल्द रतन लाल गाँव अमरापुरा ज़मीन का मालिक	नहीं	गेहूँ	2.75 हेक्टेयर	1.75	0.25	कुआँ-1 चालू
3	6.00	मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान	नहीं	–				कुआँ-1 चालू चारागाह

(क) मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है?

(ख) रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए।

(ग) खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है?

(घ) खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती है?

गाँव – अमरापुरा
पटवारी रिकॉर्ड – 16

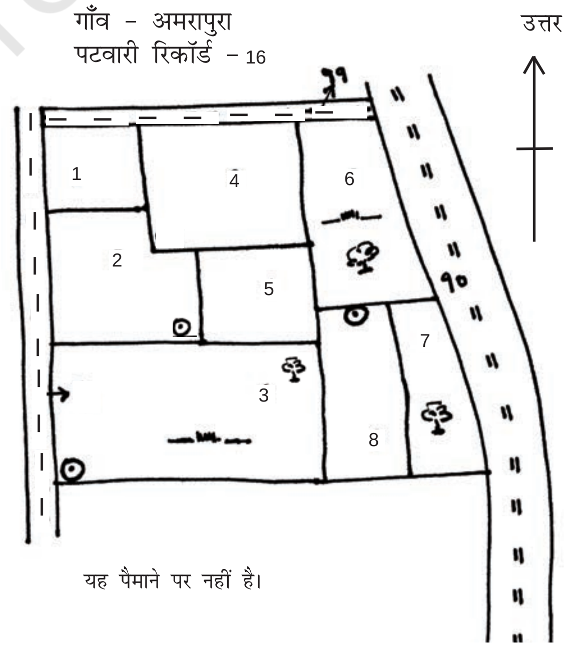

यह पैमाने पर नहीं है।

चिह्न

- सीमा
- चारागाह
- कच्ची सड़क
- कुआँ
- पक्की सड़क
- पेड़

© NCERT not to be republished

किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालाँकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें।

आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किसलिए ज़रूरी हैं?

* एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन ख़रीदना चाहता है।
* एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है।
* एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआँ खोदने के लिए बैंक से कर्ज़ चाहिए।
* एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है।
* एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बाँटना चाहता है।

करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं।

भारत में सभी राज्य ज़िलों में बँटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन ज़िलों को और भी छोटे खंडों में बाँट दिया जाता है। ज़िले के उप-खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर ज़िला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व (विभिन्न तरह के कर) इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण-पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ़्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं।

एक नया कानून
(हिंदू अधिनियम धारा, 2005)

जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।

इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह

© NCERT not to be republished

एक बिटिया की चाह

विरासत में मिला यह घर
पापा को अपने पिता से
यही घर मिलेगा
मेरे भैया को मेरे पिता से

पर मैं और मेरी माँ,
हमारा क्या?
बता दिया गया है मुझे,
पिता के घर में हिस्से की बात
औरतें नहीं किया करतीं

लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना
बिलकुल मेरा अपना
नहीं चाहिए
दहेज में रेशम और सोना

स्रोत: *रिफ़्लेक्शन्स ऑन माई फैमिली,*
अंजलि मांटेरियो, *टिस, मुंबई*

शादीशुदा है और पास के गाँव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बँटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ-साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए।

सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम सँभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है।

अन्य सार्वजनिक सेवाएँ - एक सर्वेक्षण

इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा, ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएँ आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवत: सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा।

अपने गाँव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए – दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आँगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि।

तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है।

© NCERT not to be republished

सार्वजनिक सभा	आपने उनके काम के बारे में क्या देखा?	नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र	इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है	जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएँ	लोगों की समस्याएँ	क्या सुधार किए जा सकते हैं?
राशन की दुकान	यह दुकान खुली हुई थी। तीन लोग आए उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं।	यह दो गाँवों के लिए है।	उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, यह तहसील के दफ़्तर में बनाया जाता है।	मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है।	चावल बड़ा खराब आता है। मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं।	अच्छा चावल आए। मिट्टी का तेल मिले। राशन की दुकान रोज खुले।
स्वास्थ्य केंद्र						
दुग्ध उत्पादक समिति						

© NCERT not to be republished

अभ्यास

1. पुलिस का क्या काम होता है?
2. पटवारी के कोई दो काम बताइए।
3. तहसीलदार का क्या काम होता है?
4. 'एक बिटिया की चाह' कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण लगता है? क्यों?
5. पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक-दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है?
6. किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान।
7. एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें।
8. चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा।
9. आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम ज़मीन-जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई?

© NCERT not to be republished

अध्याय 7

नगर प्रशासन

एक गाँव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएँ होती हैं, अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारु रूप से कैसे चलता है, कौन-सी संस्था इन सबके लिए ज़िम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएँ बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए, उत्तर ढूँढ़ने की कोशिश करते हैं।

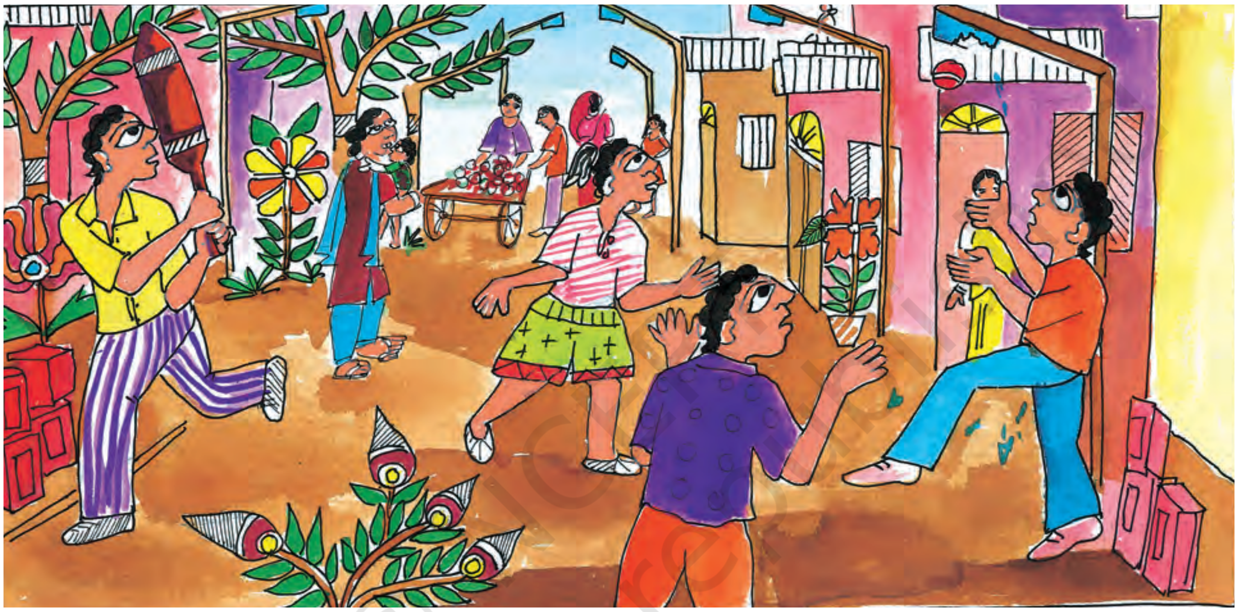

इतवार की एक अलसायी हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहाँगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते-होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था। इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शार्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, "अरे! यह मैंने क्या कर दिया?" तो शंकर तपाक से बोला, "अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी।" तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे।

पिछले हफ़्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी जिसको बदलने के लिए अपने जेब-खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या

अब दोबारा जेब-खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है?

माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, "यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला, तुम जल्दी घर वापस आना।"

यास्मीन खाला उसी गली में रहती थीं और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हँस पड़ीं और बोलीं, "कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफ़ाई का काम करती है।"

माला बोली, "हाँ-हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं।"

खाला बोलीं, "तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियाँ न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग-बगीचों का रख-रखाव भी करता है।" उन्होंने आगे जोड़ा, "हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं।"

क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं:

1.
2.
3.
4.

© NCERT not to be republished

निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी

"यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए? जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे?" रेहाना ने पूछा।

खाला ने जवाब दिया, "नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग (एकाउंट) में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ़ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा।"

शहर को अलग-अलग वार्डों में बाँटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियाँ बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करके निर्णय लेती हैं – उदाहरणस्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़भाड़ वाले बाज़ार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ़ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफ़ाई होनी है। पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं।

निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए :

* पंचायत के चुने हुए सदस्यों को ______ कहते हैं।
* शहर विभिन्न ________ में बँटा हुआ होता है।
* नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को ____________ कहते हैं।
* पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो ___________ को प्रभावित करते हैं।
* पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक ___________ वर्ष में होते हैं
* पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों ___________ ।

जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएँ तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं।

जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त (कमिश्नर) और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं।

"तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं?" रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती।

© NCERT not to be republished

बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, "सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद् के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं।" खाला बड़ी खुश थीं क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बाँटने का एक मौका दिया था।

शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, "अपना शहर तो इतना बड़ा है। इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी! खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे?" वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था।

"दरअसल शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, इत्यादि। मैं नगर-निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब-किताब का काम करती थी।" खाला बड़े इत्मीनान से बता रहीं थीं। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ीं।

जहाँगीर ने रसोई में खड़े-खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊँची आवाज़ में वहीं से बोला, "यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े-कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है?" बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, "इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आस-पास कुत्तों, चूहों

नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है?

इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर (टैक्स) से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं।

जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30 प्रतिशत पैसा ही आता है।

शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है।

इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है।

© NCERT not to be republished

पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, काँच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ीवाला एक मुख्य भूमिका निभाता है।

का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घरवालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएँ।

लोगों का विरोध

यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी, "मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगी। मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए।

गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुँच गईं। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएँगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्ज़ी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्ज़ी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफ़ाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है।

उस दिन पूरी शाम बच्चे घर-घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्ज़ी पर ज़्यादा से

ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ, पार्षद और सफ़ाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ़्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं हैं। गंगाबाई ने तपाक से कहा, "लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं।"

जहाँगीर ने झट से कहा, "इससे आयुक्त का तो मुँह ही बंद हो गया होगा।"

खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या-क्या बदला है?

यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियाँ करती हैं।

निजी ठेकेदार जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएँ तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं।

"और नहीं तो क्या! उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा।" यास्मीन खाला ने बताया, "गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर दो दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ धरने पर बैठ जाएँगी"।

"तो क्या गलियों की सफ़ाई हो गई?" रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी।

"दो दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, ज़ोरदार नारे लगाए तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफ़ाई नियमित रूप से होने लगी है।"

गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी?

आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची?

जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा?

"यह तो बिल्कुल बंबइया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ", माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी।

सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था

© NCERT not to be republished

ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज़्ज़त थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था।

बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते-जाते रेहाना ने कहा, "खाला, बस एक आखिरी सवाल और है! घर पर अभी जो दो कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था?"

खाला हँसने लगीं। बोलीं, "अरे नहीं-नहीं! यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने-पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, काँच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है।"

बच्चों ने इतने सारे सवालों का जबाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अँधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कराते हुए एक-दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े...

1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा-कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफ़ाई कर्मचारियों को कूड़ा-कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी जिससे स्थिति और भी बदतर हो गयी थी।

प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गँवाई। करीब तीन लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफ़ाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ़ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है।

क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चर्चा करें।

क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले तीन अन्य लाभों की सूची बनाइए।

1.
2.
3.

© NCERT not to be republished

अभ्यास

1. बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए?

2. नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे चार तरीकों के बारे में लिखिए।

3. नगर निगम पार्षद कौन होता है?

4. गंगाबाई ने क्या किया और क्यों?

5 नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है?

6. **चर्चा कीजिए :**

   नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखें।

चित्र 1

© NCERT not to be republished

चित्र 2

(क) आपके विचार से कौन-सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है?

(ख) पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या-क्या जोखिम है?

(ग) आप क्या सोचती हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएँ क्यों नहीं हैं?

7. शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरे के घरों को साफ़ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ़-सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं, वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी एवं सफ़ाई की सुविधा विरले ही होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्तीवासियों को ही दोषी ठहराती है कि जिस ज़मीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती और न ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्यवर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है, उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25-30 प्रतिशत ही आय होती है।

क्या आपको लगता है कि निगम को बस्तियों की सफ़ाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? और यह क्यों ज़रूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएँ धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है वही गरीबों को भी मिलें?

8. नीचे दिए गए चित्र को देखें।

भारत सरकार ने देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ''स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय'' अभियान के तहत, विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगरपालिका/पंचायत द्वारा चलाए जा रहे ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तरीकों को देखें। एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें।

© NCERT not to be republished

इकाई–IV

आजीविकाएँ

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

अध्याय 8

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका

पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम-धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़-पौधे, वहाँ की फ़सलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक-दूसरे से कितनी मिलती-जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे।

* ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए।
* खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी एक सूची बनाइए।
* आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए।

कलपट्टु गाँव

तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है कलपट्टु। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गाँवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्त्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना।

कलपट्टु में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएँ देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह-तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी जैसे चाय, सब्ज़ी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की। चार दुकानें चाय की हैं जहाँ 'टिफ़िन' भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने-पीने की हल्की-फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बौंडा व मैसूरपाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गाँव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं।

गाँव छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए, कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टु के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं।

धान की रोपाई कमरतोड़ काम होता है

तुलसी

हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टु में बीस एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मज़दूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8.30 से शाम 4.30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है।

साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मज़दूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फ़सल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा।

जब मैं कम उम्र की थी तो निराई-कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मज़दूरी देता है। मेरे गाँव में मज़दूरी के 'रेट' से यह थोड़ा कम है। फिर भी मैं मज़दूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस-पड़ोस के गाँवों में सस्ते मज़दूर ढूँढ़ने नहीं जाता।

मेरा पति रमन भी एक मज़दूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफ़ाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गाँव से करीब एक किलोमीटर दूर 'बोरवेल' है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग-सब्ज़ी खरीदने में मेरी मदद करता है।

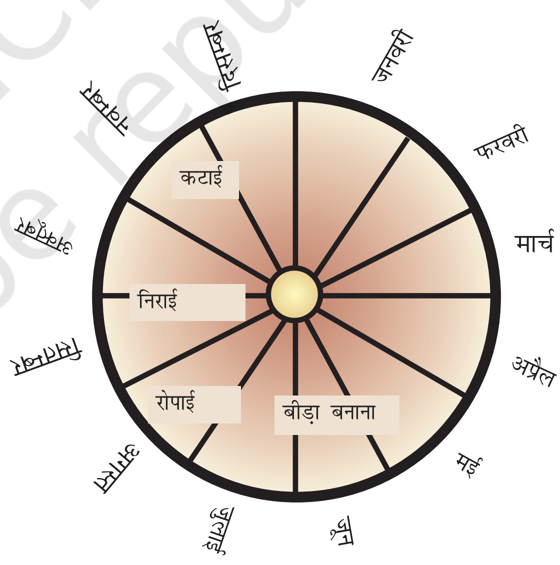

क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए।

हमारी दो बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी।

1. तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है?
2. तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है?
3. आपके क्षेत्र में या पास के गाँव में कौन-सी फ़सलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतिहर मज़दूर किस तरह का काम करते हैं?
4. अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए।

जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मज़दूरी से जो थोड़ा-सा पैसा कमाते हैं उससे गुज़ारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है।

हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40 प्रतिशत खेतिहर मज़दूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर-दराज़ के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है।

शेखर

हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी-अभी फ़सलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस दो एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ।

व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूँगा और बाकी घर में लग जाएगा।

© NCERT not to be republished

लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ आठ महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है।

कर्ज़ लेने पर

जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज़ लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज़

* शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मज़दूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता?
* शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता?
* शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी? दोनों के तर्कों को लिखिए।
* शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएँ हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर के निम्न लिखित आधार हो सकते हैं – उनके पास कितनी ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है।

लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फ़सल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फ़सल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फ़सल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज़ के तौर पर लेना पड़ता है।

जल्दी ही कर्ज़ इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज़ तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज़ के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है।

रामलिंगम और करुथम्मा

ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टु और आस-पास के गाँवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आस-पास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

रामलिंगम की 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फ़सल – तुलसी जैसे खेतिहर मज़दूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है

तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं? इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा, उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए –

- उसके पास कितनी ज़मीन है?
- अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है?
- खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं?

भारत के खेतिहर मज़दूर और किसान

कलपट्टु गाँव में तुलसी की तरह के खेतिहर मज़दूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक पाँच ग्रामीण परिवारों में से लगभग दो परिवार खेतिहर मज़दूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कइयों के पास ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं।

शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80 प्रतिशत किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20 प्रतिशत किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर ज़मीन पर

खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम-धंधे भी शुरू कर दिए हैं जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि।

ऊपर दिए गए आँकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है?

हमने कलपट्टु में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ-साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है।

समुद्रतटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए, अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टु के पास पुदुपेट नाम के गाँव में रहता है।

नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती

यह एक गाँव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे 'सीढ़ीनुमा' खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाँटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए, यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है।

चिजामी के लोगों के पास अपने-अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक-दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे छः से आठ लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास-पतवार साफ़ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता।

© NCERT not to be republished

आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दीं। बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह चार भागों में बँट जाता है। तीन हिस्से उन तीन लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल, कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है, जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं।

अरुणा और पारिवेलन

पुदुपेट कलपट्टु से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और 'कैटामरैन' (मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव) की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं।

मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फँस गए थे।

नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर-भरकर पास के गाँवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह-सुबह दो बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मॉनसून के दौरान करीब चार महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय

© NCERT not to be republished

स्थानीय बाज़ार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरिनें

होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुज़ारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ।

* शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समनाताएँ और क्या अंतर दिखते हैं?
* क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा?

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती-बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फ़सल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द-गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते

हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग-अलग तरह की फ़सलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएँ पाते हैं।

लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मज़दूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फ़सलें उगाते हैं।।

कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुज़र-बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम-धंधों पर फल-फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मज़दूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता।

अभ्यास

1. आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टु गाँव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से पाँच कामों की सूची बनाइए।
2. कलपट्टु में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों?
3. कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। आप क्या कहेंगी?
4. तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मज़दूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए।
5. आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए।

© NCERT not to be republished

6. नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए:

	शेखर	रामलिंगम
खेती की हुई ज़मीन		
मज़दूरों की ज़रूरत		
उधार की ज़रूरत		
फ़सल का बिकना		
उनके द्वारा किया गया अन्य काम		

© NCERT not to be republished

अध्याय 9

शहरी क्षेत्र में आजीविका

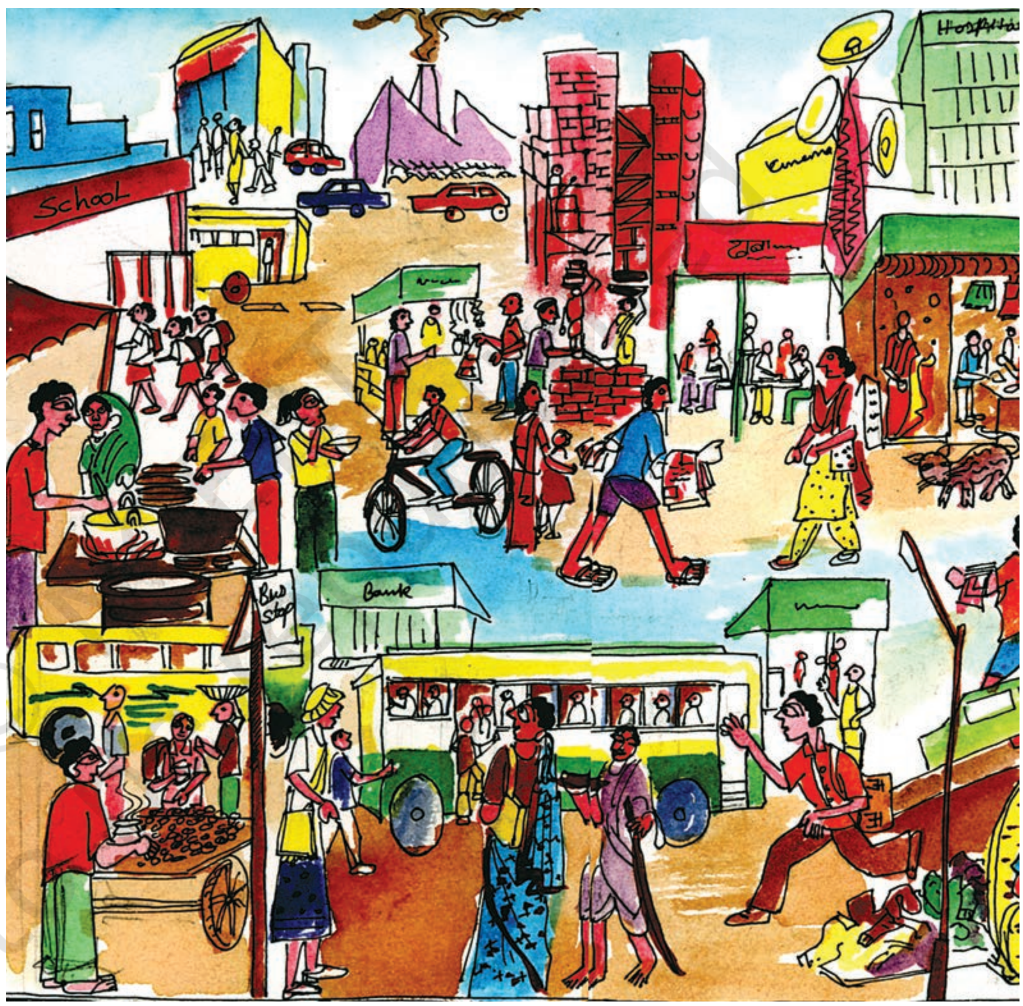

* इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं?
* आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए।
* शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएँ देखीं?

भारत में पाँच हज़ार से ज़्यादा शहर हैं और सत्ताइस महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में दस लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए, एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं?

सड़कों पर काम करना

यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी-चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थीं। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़ें, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल-पहल

थी। सब्ज़ी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूलवाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह-तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा।

सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर-ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुज़र रही थीं।

ऑटोरिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था, उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह-सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलागाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्ज़ियाँ ले जा रहा था।

हम उस जगह पर आ गईं जहाँ रिक्शेवाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से दो किलोमीटर पर था।

बच्चू माँझी - एक रिक्शावाला

मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और तीन बच्चे गाँव में ही रहते हैं।

हमारे पास ज़मीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नही पड़ती थी। जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है।

रोज़ सुबह बस स्टाप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे, उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को आठ-नौ बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आस-पास करीब छः किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती।

मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फ़ैक्टरी में काम करते हैं। रोज़ 80-100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में दो तीन बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मज़दूरी करके थोड़ा-बहुत कमा लेती है।

© NCERT not to be republished

* बच्चू माँझी शहर क्यों आया था?
* बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता?
* किसी सब्ज़ी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते है – तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि।
* बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों?

बच्चू माँझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्व-रोज़गार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है इसीलिए। उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंबों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ठेलेवालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेलेवाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवारवाले बनाते हैं। परिवारवाले चीज़ों को ख़रीद कर साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया

अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक़्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं।

गया कि काम करने वालों में से 12 प्रतिशत लोग सड़कों पर काम कर रहे थे।

हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग एक करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलनेवाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उनपर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं।

बाज़ार में

जब हम बाज़ार पहुँचीं तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थीं। लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दाँतों के डाक्टर का क्लीनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गईं जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डाक्टर ने उसके दाँतों का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा।

डाक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गईं क्योंकि मैं कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की तीन मंज़िलें थीं और हर मंज़िल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंज़िल पर पहुँचीं जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे।

बड़ी दुकान में

हरप्रीत: *पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को*

not to be republished © NCERT

और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं।

वन्दना: *हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजायनर हूँ। मैंने तरह-तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए।*

हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गाँव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मँगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है तबसे हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसायटी में एक फ़्लैट भी ले लिया है।

हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं।

ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे-छोटे दफ़्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कूरियर इत्यादि की सेवाएँ देती हैं।

- वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?
- एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं? क्या पिछले बीस सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है?
- जो बाज़ार में समान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है?

फ़ैक्ट्री में

मैं अपने एक कपड़े पर ज़री का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती

© NCERT not to be republished

है जो एक कपड़े सिलने की फ़ैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी ज़री और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फ़ैक्ट्री की तरफ चल पड़ीं। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुँची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गईं। आह! जान में जान आई।

मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और 'रेट' को लेकर मोल-तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह 'लेबर चौक' कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मज़दूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं।

हम फ़ैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे।

लेबर चौक पर दिहाड़ी मज़दूर अपने औज़ारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं।

हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर ज़री का काम करवा देगी।

निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्ज़ी का काम करती है। जिस फ़ैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ़्ते में छः दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ आठ घंटे काम करने के 80 रु. मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रु. देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फ़ैक्ट्रीवाले इन दर्ज़ियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब तीन से चार महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है।

निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढ़ना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियाँ स्थायी नहीं होतीं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फ़ैक्ट्री में मज़दूर दिन और रात की

* आपको क्या लगता है कि फ़ैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मज़दूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं?
* निर्मला जैसे मज़दूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए – काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएँ, साल भर में रोज़गार के दिनों की संख्या।
* क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएँ भी अनियमित मज़दूरों की श्रेणी में आती हैं, क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिनभर के काम का विवरण दीजिए।

पालियों में बारह-बारह घंटे तक काम करते हैं। उन्हें आठ घंटों से ज़्यादा काम करने की मज़दूरी अलग से नहीं मिलती।

दफ़्तर में

मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम साढ़े पाँच से पहले अपने दफ़्तर पहुँचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसीलिए ऑटोरिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। उनका दफ़्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ।

मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फ़ैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी पचास विक्रेताओं (सेल्समैन) के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते-जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े आर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं।

काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को छः भागों में बाँट दिया है और वे हर हफ़्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएँ भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं :

***बुढ़ापे के लिए बचत** – उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है।*

***छुट्टियाँ** – इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं।*

***परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएँ** – कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है।*

© NCERT not to be republished

महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोज़गार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टी.वी., फ़्रिज जैसे सामानों को ख़रीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ़्तर है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं।

भारत इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं।

अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है।

शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ़्तरों, फ़ैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते है जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोज़गार मिलता है। वे लगातर उसी दफ़्तर या फ़ैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फ़ैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता।

आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी-माँदी बैठ गईं। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक-दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बाँधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है।

अभ्यास

1. नीचे लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मज़दूरों के जीवन की क्या स्थिति है?

   लेबर चौक पर जो मज़दूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फ़ुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह (रैन बसेरा) में रहते हैं। इसे नगरनिगम चलाता है और इसमें छः रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतज़ाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान-बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औज़ारों को रात में उनके पास हिफ़ाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मज़दूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज़ भी देते हैं।

   स्रोतः *हिन्दू ऑन लाइन,* अमन सेठी

2. निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए।

नाम	काम की जगह	आय	काम की सुरक्षा	सुविधाएँ	स्वयं का काम या रोज़गार
बच्चू माँझी		100 रु. प्रतिदिन			
हरप्रीत और वंदना					स्वयं का काम
निर्मला			कोई सुरक्षा नहीं		
सुधा	कंपनी	30,000 रु. प्रति माह			

© NCERT not to be republished

3. एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है?
4. सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन-से लाभ मिलते हैं?
5. नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाज़ार की दुकानों या दफ़्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएँ मुहैया कराते हैं?

दुकानों या दफ़्तरों के नाम	चीज़ों/सेवाओं के प्रकार

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अध्याय 1

पोइली सेनगुप्ता, 1997, द *लाइट्स चेंज्ड,* जी. हरिहर एंड एस. फ्यूटहैली (सं.) *सॉरी बेस्ट फ्रेंड,* तूलिका बुक्स, चेन्नई।

अध्याय 2

शीला धीर, 2005, *व्हाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड?* तूलिका बुक्स, चेन्नई।

वसंत मून (सं.), 1993, डा. बी.आर. अंबेडकर, *राइटिंग एंड स्पीचेज़,* खंड 12, बंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार।

अध्याय 3

आर. के. लक्ष्मण, 2002, *दि कॉमन मैन गोज़ टू दि विलेज,* दि बेस्ट ऑफ लक्ष्मण, पेंग्विन, दिल्ली।

आर. के. लक्ष्मण, 2005, *दि कॉमन मैन कास्ट हिज़ वोट,* दि बेस्ट ऑफ लक्ष्मण, पेंग्विन, दिल्ली।

अध्याय 6

अंजलि मांटेरियो, 1994, *रिफ़्लेक्शन्स ऑन माई फैमिली,* टाटा इंस्टीटयूट् ऑफ सोशल सांइसेज़, मुंबई।

अध्याय 9

जॉन ब्रीमेन और पार्थिव शाह, 2004, *वर्किंग इन दि मिल नो मोर,* ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

© NCERT not to be republished